सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री चाँदमल वर्मा, आर.ए.एस.)

14/2016(प्रा.प. आवंटन निरस्त)
:016/00031

अनवान

1. श्री लाडु पिता मेगा गरासिया, निवासी पानरवा, तहसील झाडोल, उदयपुर

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री भुरा पिता लाला उर्फ लालुराम गरासिया, निवासी पानरवा, तहसील झाडोल, उदयपुर
2. श्री गोपाल पिता लाला उर्फ लालुराम गरासिया, निवासी पानरवा, तहसील झाडोल, उदयपुर
1. राजस्थान राज्य जरिये उप–जिला कलक्टर झाडोल, उदयपुर

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री नरेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री लोकेश जैन, अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 1 व 2

अपील प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक : 30-01-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के प्रस्तुत कर मौजा पानरवा, तहसील झाड़ोल की आराजी संख्या 1685 रकबा 1.03 हेक्टेयर पर विपक्षी संख्या 1 व 2 को किये गये आवंटन आदेश दिनांक 05.06.1989 को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया कि मौजा पानरवा, तहसील झाडोल में आराजी संख्या 1685 रकबा 1.03 हेक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का आधिपत्य होकर मौके पर प्रार्थी द्वारा भारी विकास कर रखा है एवं चारो ओर बाड प्रार्थी द्वारा लगा रखी है। इसी भूमि पर प्रार्थी द्वारा 350 फीट ट्युबवेल गहरा पानी की कमी के कारण खुदवाया गया है। विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता श्री लाला उर्फ लालूराम एम.एल.ए. थे जिन्होने अपने पद का दुरूपयोग कर अपने पुत्र के नाम भूमि का आवंटन बिना आवंटन कमेटी की राय फर्जी तरीके से करवा नामान्तरकरण खुलवा लिया। विपक्षी संख्या 1 व 2 पढे–लिखे है किन्तु फर्जी अंगूठे लगवाकर उक्त आवंटन करवाया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 एवं 2 के पक्ष में किये गये कथित आवंटन को निरस्त किया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी सं. 1 एवं 2

की ओर से श्री लोकेश जैन, अधिवक्ता ने वकालात पत्र पेश कर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित हैं। उक्त विवादित आराजीयात पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है न ही उसके द्वारा आवंटित भूमि पर कोई काश्त की गयी है। मौके पर बनी हुई बाड, पेड़–पौधे भी विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा लगाये गये है। विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित भूमि से प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता ने कभी भी अपने पद का दुरूपयोग नहीं किया है एवं उक्त कृषि भूमि आवंटन योग्य होने से ही विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित की गयी है। आवंटन से पूर्व विधिवत् उद्घोषणा जारी की गयी है एवं आवंटन कमेटी की राय के आधार पर कथित आवंटन विपक्षी संख्या 1 व 2 को किया गया है। विपक्षी संख्या 1 व 2 को उक्त भूमि वर्ष 1989 में आवंटित हुई है एवं आवंटन शर्तो की पालना किये जाने के फलस्वरूप विपक्षी संख्या 1 व 2 को विवादित आराजीयात पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो जाने से उक्त आवंटन को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये आवंटन को बहाल रखा जावे।

प्रकरण में तहसीलदार, झाडोल से विवादित आराजी पर मौके की रिपोर्ट मंगवायी गई। तहसीलदार, झाडोल ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/215 दिनांक 23.03.2017 से प्रकरण में प्रेषित मौका रिपोर्ट में न्यायालय को अवगत कराया है कि राजस्व रेकर्ड में मौजा पानरवा की आराजी नं. 1685 रकबा 1.03 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 क्रमशः भुरा, गोपाल पिता लाला गरासिया के नाम सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। मौके पर आराजी संख्या 1685 रकबा 1.03 हेक्टेयर के दक्षिण भाग में 0.05 हेक्टेयर पर श्री लालूराम पिता वीरमा गरासिया का कब्जा काश्त है। उक्त आराजी के मध्य भाग में 0.19 हेक्टेयर पर श्री हता पिता मेगा गरासिया का कब्जा काश्त है तथा दक्षिण मध्य भाग में 0.47 हेक्टेयर पर प्रार्थी श्री लाडू पिता मेगा गरासिया का कब्जा काश्त है एवं दक्षिण भाग में 0.32 हेक्टेयर पर स्वयं खातेदार विपक्षी संख्या 1 व 2 क्रमशः भूरा, गोपाल पिता लाला गरासिया का कब्जा काश्त है। तहसीलदार से मौका प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी, झाडोल से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 365/1989 तलब की जाकर प्रकरण में बहस हेतु तिथि नियत की गई। बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 05.06.1989 को निरस्त करने की मांग करते हुए विवादित आराजीयात पर प्रार्थी का कब्जा होना, आवंटन में मिसप्रजेन्टेशन होना, प्राथमिकता का अनुसरण नही करने एवं मिलीभगत से आवंटन करने से उक्त आवंटन को अवैध एवं शून्य बताया एवं उक्त आवंटन को निरस्त करने की मांग की।

विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुए अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 को किया गया कथित आवंटन वर्ष 1989 का है। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 व 2 को उक्त आराजीयात पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त आवंटन निरस्ती का

प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये आवंटन में किस प्रकार का मिसप्रजेन्टेशन हुआ है, इसका उल्लेख प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने व निराधार होने से सव्यय खारिज किया जावे एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन को बहाल रखा जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के जवाब, आवंटन पत्रावली, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया एवं उन पर गंभीरता से मनन किया। प्रकरण में विवाद विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित आराजी संख्या 1685 रकबा 1.03 हेक्टेयर का है, जिस पर उभयपक्ष का अपना अपना कब्जा बताया जा रहा है। आवंटन पत्रावली संख्या 365/1989 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा आवेदन करने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर विपक्षी संख्या 1 व 2 को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर तहसीलदार, प्रधान, सरपंच आदि के हस्ताक्षर हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी के भी हस्ताक्षर मौजूद है। जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त आवंटन सलाहकार समिति की पूर्ण राय के आधार पर हुआ है। आवंटन के पश्चात् कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट में कब्जा प्राप्तकर्ता के रूप में विपक्षी संख्या 1 व 2 के हस्ताक्षर पटवारी एंव भू–अभिलेख निरीक्षक एवं गवाहान की उपस्थिति में मौजूद होकर तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस प्रकार उक्त आवंटन में किसी प्रकार का मिसप्रजेन्टेशन हुआ हो या गलत तरीके से आवंटन होना जाहिर नही होता है। वर्तमान में उक्त आराजी पर विपक्षी संख्या 1 व 2 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा इसकी पुष्टि हेतु न तो कोई पुरानी जमाबंदी इत्यादि की रिपोर्ट सलंग्न की है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थी का उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा विपक्षी सं. 1 व 2 को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि प्रार्थी का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तो उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थी के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थी का कब्जा साबित करती। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के संबंध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट में विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित आराजीयात के कुछ भाग पर प्रार्थी का कब्जा होना पाया गया है, किन्तु उक्त कब्जा आवंटन वर्ष 1989 से पूर्ववर्ती हो ऐसा कोई तथ्य रिपोर्ट पर नहीं है। आवंटन में किसी प्रकार का मिसप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता वक्त आवंटन विधायक रहे हो इसकी पुष्टि में कोई दस्तावेज प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा पेश नही किया है। ऐसी स्थिति में किसी खातेदार की भूमि पर मात्र अन्य व्यक्ति के पश्चातवर्ती कब्जे को आधार बनाकर ऐसे आवंटन को निरस्त कर किसी भी खातेदार को भूमि से बेदखल करना हम न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा मौजा पानरवा, तहसील झाडोल की साबिक आराजी संख्या 1685 रकबा 1.03 हेक्टेयर पर उपखण्ड अधिकारी झाडोल द्वारा मिसल नम्बर 365/1989 से विपक्षी संख्या 1 व 2 क्रमशः श्री भुरा, गोपाल पिता लाला के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 05.06.1989 को यथावत रखा जाता हैं। प्रार्थी यदि चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(चाँदमल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर